राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा/बैठक/2015/ 1137 दिनांकः 5/5/2015

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 15.05.15

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालयों/कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों एवं लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 15.05.15 को मध्यान्ह पूर्व 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त लेखाकर्मी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना बैठक में अपने साथ लेकर आयेगें :-

1. **मासिक व्यय विवरणः- सम्बन्धित सहा. लेखाधिकारी माह अप्रेल, 2015 तक के समस्त व्यय मदों (आयो. भिन्न/आयोजना/सीएसएस) के मासिक व्यय विवरण बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे, यह सुनिश्चित करें कि व्यय मानचित्रों में टी.वी. न0 आवश्यक रूप से अंकित हो।**
2. निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जाँच प्रतिवेदनों एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों में दोषी कर्मचारी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही नहीं करने, वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं किये जाने को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। अतः विशेष जांच प्रतिवेदनों/भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालनाऐं तथा नवीनतम स्थिति के बाद बकाया अनुपालनाऐं बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें।
3. महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की समस्त बकाया प्रथम अनुपालनाएं बैंठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रथम अनुपालनाएं समय से प्रेषित न करने को उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 12.03.15 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। समय पर प्रथम अनुपालना नहीं प्रेषित करने पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है अतः प्रथम अनुपालना समय पर प्रेषित करवायें।
4. आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में निदेशालय द्वारा सभी कार्यालयों को स्मरण-पत्र जारी किये गये है किन्तु अभी तक भी काफी आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना तक अप्राप्त है। अतः समस्त बकाया प्रथम अनुपालनाऐं एवं बकाया आक्षेपों की अनुपालनाऐं बैंठक में आवश्यक रूप से साथ लावें।
5. चोरी/गबन के प्रकरणों के सम्बन्ध में केसवार नवीनतम सूचनाएं एवं न्यायालय में विचाराधीन चोरी/गबन प्रकरणों में वसूली के विरूद्ध न्यायालय से स्टे नहीं है उन प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें। समस्त बकाया प्रकरणों के वसूली के संबंध में विचार विर्मश किया जायेगा।
6. अनुपयोगी सामग्री एवं नाकारा वाहनों के निस्तारण हेतु शिथिलता दिनांक 31.03.15 तक बढ़ाई गई है तथा इससे प्राप्त आय निदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 621 दिनांक 23.03.15 में दिए गए निर्देशानुसार अपने अधीन समस्त कार्यालयों की सूचना प्रपत्र 1 व 2 (नकारा सामान व वाहन) में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
7. लम्बित ओ.बी. आईटम्स का निस्तारण आवश्यक रूप से करवाते हुए जोन स्तर पर समेकित कर बैंठक में प्रस्तुत करें।
8. एसी/डीसी बिलों के निस्तारण की सूचना जोन स्तर पर समेकित कर बैंठक में प्रस्तुत करें। बकाया डीसी बिल बैंठक में साथ लेकर आवें।
9. आंतरिक अंकेक्षण तीन वर्ष या अधिक जिन कार्यालयों का भी बकाया है, उनकी जोनवार सूचना मासिक बैंठक में प्रस्तुत करें।
10. प्रपत्र 1 से 8 की सूचनाऐं सभी प्रकार से पूर्ण हो सुनिश्चित किया जा सके। प्रपत्र संख्या 1, 4 एवं 8 की सूचना अलग एवं प्रपत्र संख्या 2, 3, 5, 6 एवं 7 की सूचना अलग से जोनवार समेकित कर बैंठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः लेखा/बैठक/2015/ 1137 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
3. अति0 निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सैठी कॉलोनी, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्यालय।
10. मुख्य लेखधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
11. भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
12. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
13. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
14. समस्त सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
15. लेखाधिकारी/स0ले0अ0 (बजट/आन्तरिक अंकेक्षण/महालेखाकार अंकेक्षण/भण्डार क्रयण संगठन) मुख्यालय जयपुर।
16. प्रभारी सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
17. केयर टेकर, कृपया दिनांक 15.05.15 को प्रातः 11.00 बजे से मिटिंग हॉल आरक्षित करें।
18. रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

Email: famh-rj@nic.in, Fax-0141-2225334